झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
अधिसूचना

एस0ओ0......................   राँची, दिनांक.......................

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिये निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के अन्तर्गत मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों (Medium Risk Industries) के लिये अन्य पक्ष प्रमाण (Third Party certification) की सुविधा अनुमान्य करने का परामर्श दिया गया है। इस संबंध में पूर्व मे निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0– 2084 दिनाक 02/12/2015 में आंशिक संशोधन करते हुये निर्णय लिया गया है कि ऐसे उद्योग/स्थापन आदि श्रमायुक्त झारखण्ड द्वारा सूचीबद्ध अन्य पक्ष (Third Party) से श्रम अधिनियमों का अंकेक्षण करा कर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक विहित प्रक्रिया के अनुसार श्रमाधान पोर्टल पर upload कर देते हैं तो उन्हे दैनन्दिन (Routine) प्रकृति की निरीक्षण प्रक्रिया से मुक्त रखा जायेगा।

2. अन्य पक्ष को सूचीबद्ध करने हेतु श्रमायुक्त, झारखण्ड के द्वारा समाचार पत्रों मे सूचना प्रकाशित कर इच्छुक एवं अर्हता प्राप्त अन्य पक्षों (Third Party) से आवेदन मंगा कर उन्हें 5 वर्षों के लिये सूचीबद्ध किया जायेगा।

3. विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत अन्य पक्ष (Third Party) के रूप में सूचीबद्ध होने की अर्हता निम्नानुसार होगी:–

सूचीबद्ध होने की अर्हता:–

(क) अन्य श्रम अधिनियम (कारखाना अधिनियम को छोड़कर)

(i) आवेदक न्यूनतम उप श्रमायुक्त के पद से सेवानिवृत हुआ हो या त्याग पत्र दिया हो

या – आवेदक को कारखाना कल्याण पदाधिकारी नियमावली 1953 में विहित प्रक्रिया द्वारा आयोजित काखाना कल्याण पदाधिकारी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिये।

या– आवेदक को किसी कारखाना/उद्योग में कारखाना कल्याण पदाधिकारी के रूप में कार्य करने का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।

(ii) वह वर्त्तमान में किसी कारखाने/उद्योग में नियोजित नही होना चाहिये या उसका कोई व्यवसायिक हित नहीं होना चाहिये।

((ख) कारखाना अधिनियम के लिये:–

(i) आवेदक न्यूनतम कारखाना निरीक्षक के पद से सेवानिवृत हुआ हो या उसने त्याग पत्र दिया हो

या –आवेदक को झारखण्ड कारखाना नियमावली 1950 के नियम 62 –'B' में निहित प्रावधानों के अनुरूप सुरक्षा पदाधिकारी के रूप में कार्य करने की अर्हता होनी चाहिये।

या– आवेदक को किसी कारखाने में /उद्योग में सुरक्षा पदाधिकारी के रूप में कार्य करने का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।

(ii) वह वर्त्तमान में किसी कारखाने/उद्योग में नियोजित नहीं होना चाहिये या उसका कोई व्यवसायिक हित नहीं होना चाहिये।

4. सूचीबद्ध अन्य पक्ष (Third Party) की सूची विभागीय Website पर सभी की जानकारी के लिये प्रकाशित रहेगी तथा कोई भी नियोजक/दखलकार अपनी इच्छा से किसी भी सूचीबद्ध अन्य पक्ष (Third Party) से उन्हें शुल्क का भुगतान कर श्रम अधिनियमों के अनुपालन का अंकेक्षण करा सकेंगें।

5. सूचीबद्ध अन्य पक्षकार के दायित्वः–

(क) अंकेक्षण हेतु सूचीबद्ध अन्य पक्षकार का दायित्व होगा कि वह अंकेक्षण हेतु इच्छुक नियोजक/दखलकार के यहाँ अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक कार्यान्वयन बिन्दु एवं पोषणीय पंजियों का विभागीय टेम्पलेट में बिन्दुवार अंकेक्षण करेगा।

42-6

(ख) अंकेक्षणोपरांत श्रमाधान पोर्टल पर अपने Login के माध्यम से अधिनियमवार, उपलब्ध टेम्पलेट में अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करेगा तथा यह प्रमाण–पत्र अंकित करेगा कि संबंधित दखलकार/नियोजन के द्वारा अधिनियम में विहित प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। उसने सभी बिन्दुओं पर गहन जाँच पड़ताल कर लिया है तथा वह जाँच–प्रतिवेदन से संतुष्ट है।

(ग) वह किसी भी परिस्थिति में गलत जानकारी अपलोड नहीं करेगा।

(घ) अन्य पक्षकारों के द्वारा समर्पित अंकेक्षण प्रतिवेदनों का 10% निरीक्षण रैंडम कम्प्यूटरीकृत आवंटन की प्रक्रिया से आवंटित विभागीय निरीक्षकों के द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

(ङ) यदि निरीक्षक की टिप्पणी एवं तृतीय पक्षकारों के अंकेक्षण प्रतिवेदन में विसंगति पायी जाती है तो उनके अंकेक्षण अधिकार को प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की पूर्वानुमति से बिना सूचना के रद्द किया जा सकेगा तथा ऐसे दखलकारों/नियोजकों को दैनन्दिन निरीक्षण से दी गयी मुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जायेगी।

6. इसे नितांत कार्यकारी व्यवस्था के रूप में लागू किया जा रहा है तथा यदि कभी सरकार को ऐसा महसूस होता है कि इस सुविधा का पक्षकारों/नियोजकों/दखलकारों के द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है तो इसे बिना किसी सूचना के वापस लिया जा सकेगा।

संख्या–2/एफ0ए0–50–32/15 श्र0नि0– 871 राँची दिनांक 23.5.16

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
23/5/2016
सरकार के अवर सचिव।